

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

नारायणलाल

विपक्षी

दुदराम

म मुकदमा

०१५

पत्रावली संख्या

126/21

सन्

क्र	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>22/4/25 पत्रावली पेश हुई। अधि. उभयपक्ष 34/ सनकीमत कामन सि 34/ पत्रावली वाक्ते शाह्यवादी दिनांक 28/4/25 को पेश हो। 28/4/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक समा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 12/5/25 को पेश हो। 12/5/25 वकूलाय वार्द/प्रतिवादी उप. शाह्य वार्द के लिये मौका चाहते है। अतः एव अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 13/5/25 को पेश हो। 13/6/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक समा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 24/7/25 को पेश हो। 24/7/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप. उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक समा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 11/9/25 को पेश हो।</p>	<p>BI° BI° BI°</p>



11/9/25
बकुलाय वादी/प्रतिवादी उप-21/10/25
के लिये मौका चाहते हैं। अतः 21/10/25
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 21/10/25
को पेश हो।
(SDO) नावली

21/10/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान वप।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक समा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में प्यारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 29/10/25 को पेश हो।
B/2

29/10/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान वप।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक समा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में प्यारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 16/12/25 को पेश हो।
B/2

16/11/25
बकुलाय वादी/प्रतिवादी उप-21/10/25
के लिये मौका चाहते हैं। अतः 21/10/25
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 21/10/25
को पेश हो।
(SDO) नावली

05/01/26 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान अनुपस्थित।
अधिवक्ता उभय पक्षकारान को बार - बार आवाजे दिलवाई गई।
समय सांय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं पक्षकारान एवं उनके
अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय
स्वयं वादी एवं अधिवक्ता प्रतिवादी मय स्वयं प्रतिवादी
अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद एवं प्रतिवादी का प्रतिवाद
अदम राजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय शुले न्यायालय सुनाया गया।



अधिवक्ता कलक्टर
(SDO) नावली